11/6/25

पत्रा. पेश हुई वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को न्यायालय उपस्थित होने हेतु बार-2 आवाज लगवाई गई तदुपरांत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। चूंकि दावा वादी अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 2/2 आदेश 9 का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। प्रार्थना पत्र भी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रा. फैसल शुमार हो, नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:01:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner